मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : jdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-4270561

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 02 भोपाल दिनांक 05 अप्रेल 2016

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल का सुचारु कियान्वयन कराने संबंधी।
संदर्भः–दिनांक 18 मार्च 2016 को आयोजित आंचलिक संयुक्त संचालक / उप संचालक की मासिक समीक्षा बैठक एवं दिनांक 21 मार्च 2016 को वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण एवं कार्यालयीन पत्र कमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 1054 दिनांक 31 मार्च 2016।

–0–

उल्लेखित विषय के संदर्भ में लेख है कि ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल अंतर्गत कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रारुप–दस (अनुज्ञा पत्र हेतु घोषणा) एवं प्रारुप–नो (अ) की प्रविष्टी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के द्वारा किये जाने की प्रकिया का "यूजर मैनुअल" तैयार कर संदर्भित पत्र के संलग्न उपलब्ध कराया गया है एवं इसकी जानकारी अंचल की मण्डी समितियों के माध्यम से प्रदेश की मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से विचार–विमर्श कर इसका उपयोग करने के लिये व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाये ताकि प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी अपनी जानकारी दर्ज कर प्रस्तुत करने आदि का स्वयं अभ्यास कर सकेंगे। आपको दिनांक 18 मार्च 2016 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक एवं दिनांक 21 मार्च 2016 को सम्पन्न वीडियो कान्फ्रेसिंग में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह प्रकिया प्रयोगिक रुप से अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों के प्रशिक्षण यथा अभ्यास के लिये कार्य करेगी अर्थात मूल ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉड्यूल से जुड़ी नहीं होगी। मण्डी समिति भी इस प्रकार व्यापारियों द्वारा दर्ज की गई जानकारी को संज्ञान में नहीं लेवेगी। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को संभवतः पूर्ण स्थिति मण्डी सचिवों द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है जिसके कारण अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी दूरभाष पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई भोपाल एवं मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल से सम्पर्क कर रहे हैं।

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि तत्काल उपरोक्त जानकारी अपने अंचल की समस्त मण्डी समितियों के सचिवों को दी जाये एवं अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न करायें।

<u>संलग्न :– उपरोक्तानुसार।</u>

(ए0पी0एस0सोलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 03 भोपाल दिनांक 05 अप्रेल 2016

<u>प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, तकनीकी निदेशक भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) अपर संचालक (वित्त / आडिट), संयुक्त संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(04) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल